भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2781
18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

2781. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत प्रस्तावित, निर्माणाधीन और वर्तमान में कार्यान्वित परियोजनाओं के घटक, जिलावार और प्रकाशम जिले के संबंध में ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में घटकवार, जिलावार और प्रकाशम जिले के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत राज्य, जिलावार और प्रकाशम जिले में लाभार्थियों (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/महिलाएं) की कुल संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछुआरा समुदाय के सदस्यों हेतु कौशल विकास और प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है और राज्यवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में युवाओं और महिलाओं के लिए ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में मछुआरा समुदाय हेतु कोई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) एवं (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को लागू कर रहा है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए 559.10 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ कुल 2398.72 करोड़ रुपए की लागत से आंध्र प्रदेश से 39 गतिविधियों (32 लाभार्थी घटक और 7 गैर-लाभार्थी घटक) के लिए प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2020-21 से 2024-25 के दौरान जारी किए गए 482.55 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान की तुलना में 328.13 करोड़ रुपए के उपयोग की सूचना दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रकाशम जिले में 5.40 करोड़ रूपए की आवंटित निधि में से 4.93 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार को पीएमएमएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित गतिविधियों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रकाशम जिले में आवंटित और कार्यान्वित गतिविधि-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रिपोर्ट दी गई के अनुसार , विगत चार वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में प्रकाशम जिले सहित राज्य में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा, अनुबंध-III में दिया गया है।

(घ) और (ड़): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'प्रशिक्षण, जागरूकता, एक्सपोजर और क्षमता निर्माण' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र गतिविधि को लागू कर रहा है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 100% केंद्रीय सहायता के साथ इस गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछुआरों के लिए आयोजित कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों का विवरण अनुबंध-IV में दिया गया है।

अनुबंध- I

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत परियोजनाएं के संबंध में 18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2781 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण – विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार के लिए अनुमोदित गतिविधियाँ।

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	इकाई	वास्तविक इकाई (फिसिकल यूनिट)	परियोजना लागत (रु.)	केंद्रीय अंश (रु. में)
(i)	(ii)	(iii)	(vi)	(v)	(vi)
1	मीठे पानी की फिनफिश हैचरी	संख्या	5.00	125.00	36.00
2	खारे पानी की हैचरी	संख्या	10.00	500.00	150.00
3	मीठे पानी वाले क्षेत्र के लिए बायोफ्लोक तालाबों का निर्माण	हेक्टेयर	47.00	658.00	186.48
4	खारे पानी वाले क्षेत्रों के लिए बायोफ्लोक तालाबों का निर्माण	हेक्टेयर	50.00	900.00	265.68
5	जलाशयों में फिंगरलिंग्स का भंडारण @1000FL/हेक्टेयर	हेक्टेयर	1914.00	5742.00	1641.00
6	ऑपन सी केज की स्थापना	संख्या	800.00	4000.00	1084.80
7	सीवीड कल्चर राफ्ट्स इनपुट सहित	संख्या	26000.00	390.00	115.20
8	इनपुट सहित मोनोलाइन/ट्यूब नेट विधि से सी वीड कल्चर की स्थापना	संख्या	41200.00	3296.00	902.40
9	बाइवाल्व कल्टिवेशन (मसल्स, क्लैम्स, पर्ल आदि)		50.00	10.00	3.00
10	बड़े आरएएस की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर 3 के 8 टैंक / टैंक क्षमता 40 टन / क्रॉप के साथ)	संख्या	34.00	1700.00	480.00
11	मध्यम आरएएस की स्थापना (न्यूनतम 30 मी 3 के 6 टैंक /टैंक क्षमता 10 टन/क्रॉप के साथ)	संख्या	10.00	250.00	72.00
12	बैकयार्ड मिनी-आरएएस इकाइयों की स्थापना	संख्या	20.00	10.00	3.12
13	जलाशयों में केज की स्थापना	संख्या	300.00	900.00	254.16
14	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट्स का निर्माण (10 टन/दिन)	संख्या	10.00	400.00	115.20
15	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट्स का निर्माण (20 टन/दिन)	संख्या	1.00	80.00	19.20
16	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट्स का निर्माण (30 टन/दिन)	संख्या	1.00	120.00	43.20
17	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट्स का निर्माण (50 टन/दिन)	संख्या	4.00	600.00	162.00
18	इंसुलेटेड वाहन	संख्या	200.00	4000.00	1152.00
19	लाइव फिश वेंडिंग सेंटर	संख्या	245.00	4900.00	1408.80
20	आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल	संख्या	800.00	600.00	172.80
21	फिश वेंडिंग के लिए ई-रिक्शा सहित आइस बॉक्स युक्त थ्री व्हीलर	संख्या	400.00	1200.00	345.60
22	फिश फीड प्लांट्स (बड़े)	संख्या	5.00	1450.00	450.00

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	इकाई	वास्तविक इकाई (फिसिकल यूनिट)	परियोजना लागत (रु.)	केंद्रीय अंश (रु. में)
23	ओर्नामेंटल फिश/एक्वेरियम मार्केट सहित फिश रिटेल मार्केट्स	संख्या	150.00	12000.00	3288.00
24	एक्वेरियम/ओर्नामेंटल फिश के कियोस्क सहित फिश कियोस्क	संख्या	4615.00	14263.75	3992.73
25	फिश वैल्यू ऐड एंटरप्राइज़ इकाइयाँ	संख्या	25.00	1250.00	360.00
26	मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफॉर्म	संख्या	1.00	100.00	24.00
27	पारंपरिक मछुआरों के लिए डीप-सी फिशिंग वेसेल्स के अधिग्रहण के लिए सहायता	संख्या	50.00	6000.00	1526.40
28	मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसेल्स में जैव-शौचालय की स्थापना	संख्या	1300.00	650.00	159.60
29	डीजीज डायग्नोस्टिक और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ	संख्या	2.00	50.00	15.00
30	डीजीज डायग्नोस्टिक और गुणवत्ता परीक्षण मोबाइल प्रयोगशालाएं/क्लिनिक	संख्या	8.00	280.00	79.80
31	मोटरराइज्ड वेसेल्स के लिए संचार और/या ट्रैकिंग उपकरण जैसे वीएचएफ/डीएटी/एनएवीआईसी/ट्रांसपोंडर आदि।	संख्या	10000.00	3500.00	892.08
32	पारंपरिक मछुआरों के लिए बोट (रिप्लेसमेंट) और नेट उपलब्ध कराना	संख्या	2191.00	10955.00	2659.20
33	मत्स्यन प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े, सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता।	संख्या	123000.00	19922.4	6640.80
34	ब्रूड बैंकों की स्थापना	संख्या	1.00	500.00	300.00
35	एकीकृत एक्वा पार्क	संख्या	1.00	8808.00	5285.00
36	फिशिंग हार्बर्स का विकास	संख्या	3.00	113720.00	12000.00
37	आधुनिक एकीकृत फिश लैंडिंग सेंटर	संख्या	6.00	12691.32	7614.79
38	कर्नाटक के तट पर आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की स्थापना	संख्या	22.00	770.00	462.00
39	बहुउद्देशीय सहायता सेवाएँ – सागरमित्र	संख्या	600.00	2581.20	1548.72
	कुल			239872.67	55910.76

****

अनुबंध- II

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत परियोजना के संबंध में 18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2781 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण – विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रकाशम जिले में गतिविधि-वार आवंटन और कार्यान्वयन ।

क्रम सं.	घटक का नाम	स्वीकृत इकाइयाँ	पूर्ण इकाई
1	फिंगरलिंग्स सीड भंडारण	159.7	31.42
2	बड़ी आरएएस इकाई	3	1
3	आइस प्लांट्स- 50टी	1	1
4	नई खारा पानी हैचरी	1	0
5	बायोफ्लोक तालाब	6	0
6	ताजे पानी के लिए बायोफ्लोक तालाब	3	0
7	आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिलें	35	35
8	इंसुलेटेड वाहन	9	8
9	आइस प्लांट्स- 10टी	1	0
10	बोट्स (रिप्लेसमेंट) और नेट	109	35
11	ओपन सी कल्चर की स्थापना	15	0
12	जलाशय में केज की स्थापना	6	0
13	लाइव फिश वेंडिंग सेंटर	9	4
14	फिश वैल्यू ऐडीड एंटरप्राइजेज इकाइयाँ	4	2
15	बायो-टॉयलेट	33	0
16	डीजीज डायग्नोस्टिक मोबाइल प्रयोगशालाएं	1	0
17	फिश कियोस्क का निर्माण	42	4
18	फिश रिटेल मार्केट(हब)	5	0
19	फिश मिनी कियोस्क का निर्माण	206	100
20	आइस बॉक्स के साथ थ्री व्हीलर	17	5
21	सागरमित्र	207	190
22	फिशिंग हार्बर्स	1	0
23	आजीविका और पोषण सहायता	24246	19025
24	संचार और ट्रैकिंग उपकरण	35	0
25	सी वीड इकाइयाँ	5191	0
	कुल	**30345.7**	**19441.42**

अनुबंध- III

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत परियोजना के संबंध में 18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2781 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण – विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रकाशम जिले सहित आंध्र प्रदेश में कवर किए गए लाभार्थियों का विवरण।

आंध्र प्रदेश

क्रम सं.	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	जनरल/बीसी/ईबीसी
1	2020-21	176	111	136	1002
2	2021-22	2018	589	140	97341
3	2022-23	1725	598	21	97088
4	2023-24	1718	555	0	114340
5	2024-25	0	0	0	0
कुल		5637	1853	297	309771

प्रकाशम जिला

क्रम सं.	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	जनरल/बीसी/ईबीसी
1	2020-21	8	3	6	55
2	2021-22	70	51	6	4315
3	2022-23	52	48	0	4258
4	2023-24	52	48	0	4231
5	2024-25	0	0	0	0
कुल		**182**	**150**	**12**	**12859**

अनुबंध- IV

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत परियोजना के संबंध में 18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2781 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण – विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रकाशम जिले सहित आंध्र प्रदेश में कवर किए गए लाभार्थियों का विवरण।

आंध्र प्रदेश में मछुआरों को प्रशिक्षण:

क्र.सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**अवधि**	**प्रशिक्षित मछुआरे युवाओं की संख्या**
1	बेसिक लाइफ सपोर्ट	3 दिन @ 50 प्रति बैच के 8 बैच	400
2	बेसिक लाइफ गार्ड सर्टिफिकेट	6 दिन 25 प्रति बैच के 5 बैच	125
		कुल	**525**

आंध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछुआरों के लिए जागरूकता/आउटरीच कार्यक्रम:

आंध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछुआरों के लिए जागरूकता/आउटरीच कार्यक्रम				
वर्ष	विवरण	कवर किए गए मछुआरों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल
2020-21	पीएमएमएसवाई योजनाओं पर जागरूकता/आउटरीच कार्यक्रम	175	125	300
2022-23	स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर (आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम	500	250	750
2022-23	मनकी बात पर जागरूकता कार्यक्रम	800	400	1200
2023-24	सागर परिक्रमा - पीएमएमएसवाई योजना पर जागरूकता।	3700	1800	5500
	कुल	**5175**	**2575**	**7750**

****